

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जाशिये पटवारी हलका

वहक श्री माधुलगा, इसाकलगा, माधुलगा
पुत्र श्री कीरलगा
जाति सोई नि भकरी मौलास
राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

मुकदमा नं. 5 / 2018

निर्णय दिनांक 11/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम भकरी मौलास अर्थात् नंबर 799
रकबा 0.1200 हेक्टर जिसमें अ. भू. राजस्व (राजकीय भूमि) पर संवत् 2075 में श्री माधुलगा, इसाकलगा,
माधुलगा पुत्र श्री कीरलगा जाति सोई निवासी कीरलगा द्वारा अ. भू. राजस्व
अग्नि अपाधी कहा गया है। द्वारा अ. भू. राजस्व के अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हलका
अन्तर्गत अपाधी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अपाधी के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण
दर्ज किया जाकर अपाधी को राज. भू.-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया
गया। तलबी पर अपाधी अ. भू. राजस्व द्वारा अ. भू. राजस्व के अतिक्रमण किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अ. भू. राजस्व द्वारा अ. भू. राजस्व के अतिक्रमण किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की।
अ. भू. राजस्व द्वारा अ. भू. राजस्व के अतिक्रमण किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की।
अ. भू. राजस्व द्वारा अ. भू. राजस्व के अतिक्रमण किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हलका द्वारा ग्राम भकरी मौलास
के खन 799 रकबा 0.1200 हेक्टर पर संवत् 2075 में अ. भू. राजस्व
अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर अ. भू. राजस्व के अतिक्रमण किये जाने पर अपाधी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्जा वहक सरकार लिया जाये।

(2) लगान दर रूपया 36.00 का 50 गुणा रूपया 36.00 रु०
(रूपये छत्तीस रूपये) शक्ति
कायम की जाती है।

निर्णय की
कियान्विती हेतु पटवारी हलका भकरी मौलास यु. अगिलेख निरीक्षक
बागोट एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तर्तीव तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/9/18 का सरे इजलारा सुनाया।

Naq
नायब तहसीलदार भकरी
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

2018-19
रकबा 5.4
रकबा 3.6
रकबा 3.6